संख्या- 29 /2023/ 306 /चार-2023

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभागः लखनऊः दिनांक 28 जनवरी, 2023

विषय- आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत दिनांक 04 से 09 फरवरी, 2023 तक लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान एवं रिहन्द थर्मल पावर, सोनभद्र के संयुक्त तत्वावधान में रिहन्द महोत्सव का आयोजन किये जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया निदेशक, लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान, लखनऊ के पत्र संख्या- 447/73-लो0ज0क0सं0स0/ 2022-23, दिनांक 25 जनवरी, 2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत दिनांक 04 से 09 फरवरी, 2023 तक लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान एवं रिहन्द थर्मल पावर, सोनभद्र के संयुक्त तत्वावधान में रिहन्द महोत्सव का आयोजन किये जाने हेतु धनराशि रू0 04.00 लाख (रू0 चार लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं-

(1) उपरोक्त धनराशि आहरित कर निदेशक, लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।
(2) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित करके बैंक/ पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी।
(4) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।

3. उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति -800- अन्य व्यय- 19- चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव- 42- अन्य व्यय मद से वहन किया जाएगा।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

संख्या- 29 /2023/ 306 (1) /चार-2023, तद्दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त(लेखा) अनुभाग-1/वित्त(ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
5- निदेशक, लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान, लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in